दिनांक 11.08.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा सम्पूर्ण 70 वार्डों में स्वीकृत नक्शे से अतिरिक्त निर्माण या बिना नक्शा पास कराये निर्मित भवन तथा मकानों को छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2016 के अंतर्गत नियमितिकरण किये जाने हेतु लगातार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जहॉ नागरिकगण उपस्थित होकर अपने भवन अथवा मकान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भूमि की रजिस्ट्री, खसरा नक्शा, बी.–01, बी.–02 भूमि व्यपवर्तन (ड्रायवर्सन), नजरी नक्शा, भवन मानचित्र, निर्मित भवन का फोटो तथा भवन में बनाये गये रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की फोटोग्राफ के साथ शिविर में वितरित किये जा रहे आवेदन में संलग्न कर सीधे नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग अथवा निगम भिलाई के भवन अनुज्ञा शाखा में जमा किया जा सकता है।

शिविर 12 अगस्त को जोन 02 वैशाली नगर जोन कार्यालयभवन में प्रातः 10:30 बजे वार्ड 10,11,13,14 के निवासियों हेतु 13 अगस्त को लाल टंकी वार्ड 26 में 15,16,26 एवं 27 के निवासियों तथा 14 अगस्त को चैता मैदान के पास भवन में वार्ड 17,18, एवं 19 के निवासियों के लिए आयोजित किया गया है।

जन सम्पर्क अधिकारी